प्रारुप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन मूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में मारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Dehradun

No----

Dated-05/02/2021

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0. 665 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD, Sahiya for the Hamrau Lallu Motar Road To Gothan Motar Road (2.00 Km) in Dehradun district falls within jurisdiction of Gram Sabha Joshi Gothan village in Kalsi tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.665hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Preagricultural communities.

Encl: As above.

Signature (Full name and official seal of the District

सहायक अमियन्ता अरथाई खण्ड, लो0नि0वि0 साहिया (देहरादून)



प्रपत्र 30.1

<u>FORM-II</u> (for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Magistrate

No

Dated 05 02 2021

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.504 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD, Sahiya for the Construction of Village Gothan Motor Road(2.000 Km) in Dehradun district falls within jurisdiction of Lohari village in Kalsi tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire <u>0.665</u> hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V annexure 23.2, 23, 23.1
- (b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forestdwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the garm sabha of Chichrad villages(s) is enclosed as annexure..... To annexure......
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(c) of the FRA

Eucl :- As above.

सत्यापित जायाप्रति जिल्लायक अमियन्ता अरथाई खण्ड, लो०नि०वि० साहिया (देहरादून)

Signature Sent to be seen

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में हमराऊ ललऊ मोटर मार्ग से ग्राम गोधान तक मोटर मार्ग का र्निमाण हेतु हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (लम्बाई 2.00 किमी0)

कार्यवृत्त

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वननिकासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 (समय समय पर संशोधित) के धारा–6 (5) तथा पर्यावरण एंव वनमत्रालय भारत सरकार के पन्न संo 11–09/98–FC(pt) दिनांक 09.8.2009 द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 5-2-2-4 मे जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुई। बैठक मे समस्त अन्य सदस्यगण थे इस बैठक मे निम्न प्रस्ताव पर उक्त अधिनियम के अनुसार किन्ही अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के Right व Settlements के सम्बन्ध में चर्चा व विचार विमर्श हुआ–

जिला देहरादून उत्तराखण्ड ग्राम गोथान समपर्क मोटर मार्ग हेतु 0.665 है0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 54) वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु अ0ख0,लो0नि0वि0 सहिया को वनभूमि हस्तान्तरण।

उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा --6(1) के अनुसार लौहारी ग्राम स्तरीय समिति द्वारा उनकी बैठक दिनॉक को विचार विमर्श कर नियमानुसार निस्तारण किया गया है। पुनः उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम की धारा --6(3) के प्राविधानानुसार उपजिलाधिकारी कालसी की अध्यक्षता में गठित उपजिलास्तरीय समिति द्वारा उनके बैठक दिनॉक 23 / 10 / 2020 को विचार विमर्श कर निस्तारण हेतु जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।उक्त समितियों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव / आख्या के अनुसार वर्तमान मे विचाराधीन उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मे पाया गया कि चकराता वनप्रभाग की रिवर रनेज के अर्न्तगत सिविल सोयम वन भुमि मे चिन्हत भु-भाग पर वनअधिकार हेतु किन्ही अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी से सम्बन्धित समुदाय का का कोई Right व Settlements की कार्यवाही अपेक्षित नही है। अत वनअधिकार हेतु कोई दावा नही है ।

बैठक में जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदित किया गया । अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाम्त की गयी ।

यक्सुलाज्यस्य प्रगाम चेकराता

अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० साहिया (देहरादून)



परियोजना का नाम :-- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में हमराऊ ललऊ मोटर मार्ग से ग्राम गोथान तक मोटर मार्ग का र्निमाण हेतु हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (लम्बाई 2.00 किमी0)

कार्यवृत्त

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वननिकासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 (समय समय पर संशोधित) के धारा-6 (5) तथा पर्यावरण एंव वनमत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0 11-09/98-FC(pt) दिनांक 09.8.2009 द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 5-2-21 में जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समस्त अन्य सदस्यगण थे इस बैठक में निम्न प्रस्ताव पर उक्त अधिनियम के अनुसार किन्ही अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के Right व Settlements के सम्बन्ध में चर्चा व विचार विमर्श हुआ-

जिला देहरादून उत्तराखण्ड ग्राम गोथान समपर्क मोटर मार्ग हेतु 0.665 है0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 54 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु अ0ख0,लो0नि0वि0 सहिया को वनभूमि हस्तान्तरण।

उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा -6(1) के अनुसार लौहारी ग्राम स्तरीय समिति द्वारा उनकी बैठक दिनॉक को विचार विमर्श कर नियमानुसार निस्तारण किया गया है। पुनः उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम की धारा -6(3) के प्राविधानानुसार उपजिलाधिकारी कालसी की अध्यक्षता में गठित उपजिलास्तरीय समिति द्वारा उनके बैठक दिनॉक 23 / 10 / 2020 को विचार विमर्श कर निस्तारण हेतु जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।उक्त समितियों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव / आख्या के अनुसार वर्तमान मे विचाराधीन उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मे पाया गया कि चकराता वनप्रभाग की रिवर रनेज के अर्न्तगत सिविल सोयम वन भुमि मे चिन्हत भू-भाग पर वनअधिकार हेतु किन्ही अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी से सम्बन्धित समुदाय का का कोई Right व Settlements की कार्यवाही अपेक्षित नही है। अत वनअधिकार हेतु कोई दावा नही है।

बैठक में जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदित किया गया । अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाम्त की गयी ।

ं भ्रमागीक क्लोधिकारी यक्त्राक्तर्वम प्रभाग चकराता अक्त्रिय दियां

अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० साहिया (देहरादून)

(55)

प्रारूप–30.1 OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT DEHRADUN (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Dehradum

Dated: 5: 2: 21

N

(Full name and official seal of the District Collector

53

-

Snul

सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 साहिया (देहरादून) 9109-30.2

परियोजना विवरण :-- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में हमराऊ ललऊ मोटर मार्ग से ग्राम गोथान तक मोटर मार्ग का र्निमाण हेतु हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (लम्बाई 2.00 किमी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कालसी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कालसी

उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अन्तर्गत हमराऊ ललफ मोटर मार्ग से ग्राम गोथान तक मोटर मार्ग (0.0000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.665 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.000हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 0.665हे0 वन भूमि) का लौं0निंठवि0, उत्तराखण्ड / अधिशासी अभियन्ता, अठखंठ, लोठनिंठवि0,सहिया (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कालसी) की दिनाक रहमा अदिवर को सम्पन्न बैठक की जायवाही का विवरण:--

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में स्वयोद्धा क्रिलोग्रिण्येउप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

संगीता मन्दी खिया। उपजिलाधिकारी तहसील कालसी.....अध्यक्ष (डेग प्रभागीय बनाधिकारी 2. श्री केला हा-न- पार्छम्प प्रभागीय वनाधिकारी' केला दस्यकालसी मदस्य जोगी जन्हराता वन अयाग 3. श्री हायक सेवल कल्याण आधिकारी कालसी.........संदस्य / सचिव - कालली (देहरायम). श्री रणबीर सिंह चोहाने बी0डींंठैंसी0 क्षेत्र जोशी गोथान सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि हमराऊ ललऊ मोटर मार्ग से ग्राम गोथान तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य परियोजना हेंचु 0.665 हैंध वन भूमि-लोठनि0ति0, उत्तराखण्ड, अधिशाओ अभियन्ता अध्खo, लोठनि0वि0,सहिया प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम समा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम लभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, केंद्र कि कि कि कि के प्राविधान को सपष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अन्तर्गत हमराऊ ललऊ मोटर मार्ग से ग्राम गोथान तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.665 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड / अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। 👝

उप जिलानिकारी/अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील–कालसी जंनपद– देहरादून

ş

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिक अक्ष्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील-कालसी

सत्यापित छार्णप्रति ज्यापित सहायक अमियन्ता अरथाई खण्ड, लो0नि0वि0 साहिया (देहरादून)

!! जय महासू देवता !!

प्रधान ग्राम पंचायत जोशी गोथान

विकास खण्ड-कालसी, जिला-देहरादून (उत्तराखण्ड)

श्रीमती निकिता चौहान

MENT

निवासी :--ग्राम --मथेऊ, पो0 ओ0---दातनू तह0--कालसी, जिला--देहरादून (उत्तराखण्ड) मो0--8477854444

पञांक.....

दिनकि.....

JHIOT UT

खाज ग्रिमाक 04/09/2020 की हम्मराउन - ल्येलेज मारेट मार्डा मार्र हुई गामन तिम मार्ट मार्ग निर्माण हेतु गाम स्तरीय समिति की केंठक में तनयूकि ELALAZOT सम्बन्धी प्रताव पर परिचर्चा के दीरान ग्राम समा के 50% से अधिक सयस्य उपस्थित रहे।

सत्यापित छायापति mul सहायक अमियन्ता अस्थाई खण्ड, ला०नि०वि० साहिया (देहरादून)

यंचायत जोशी गोधाः विण्या० कालसी

580 !! जय शिलगुर देवता!!

प्रारुप-30.3

परियोजना विवरण :-- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में हमराऊ ललऊ मोटर मार्ग से ग्राम गोधान तक मोटर मार्ग का र्निमाण हेतु हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (लम्बाई 2.00 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – जोशी गोथान तहसील–कालसी, जिला–देहरादून अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत हमराऊ ललऊ मोटर मार्ग से ग्राम गोथान तक मोटर मार्ग (0.0000 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.665 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.000 है0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 0.665 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड/अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जोशी गोथान द्वारा दिनाक <u>exale</u> को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गोथान के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड/ अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

आधकाः ent all them ह0/ जारा खण्ड-कालसी

ग्राम सचिव मुहर सहित

₹0 / -ग्राम प्रधान / सरप मृहर सहित

सत्यापित खग्नाप्रति oun

सहायक अभि**यन्ता** अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 साहिया (देहरादून)

प्रारूप-30.4

परियोजना विवरण :-- जनपद देहरादून के विद्यान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में हमराऊ ललक मोटर मार्ग से ग्राम गोधान तक मोटर मार्ग का निमाण हेतु हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (लम्बाई 2.00 किमीo)

दिनाक 04/09/2020

को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

The state of the s	ग्राम समा में उपस्थित वरिन्ठ प्रामवासियों के नाम	हरताकार
कमाक		
1	- श्री दीवान्सिए चौंहान	EI diAKZ
2	. आानी लिछ तो भर	2TTorrilleg
3	ः कलम सिंहे ते। मर	AMPLIAS.
4	" धनसिंह	CU011X1E
5	• अनिल नेगी	3717 2 1213_
6	" दलबीर सिंहे तोमर	4 ma 2121 2
7	• हाकमासिंह तोमर	Elond The
8	" वलवीर सिंहा	an alz HE
9	" केशरामिरी-चोटान	analy the
10	. सोला सिंहीचौहान	anton The
11	. महेन्द्र खिछेलोभर्	783
12	न जवाहरातिष्टी तोमर्	WATE RE
13	" न्तूपालसिट तोमर	ZUNDINE
14	ः माहर लिटीचोहान्	Eldy He
15	प्रतापछिही तेमट्	Hary the
16	- रनुल्तान सिटी तोम्(- रनुरेन्द्र सिंही तोम्(- जन्दा दापि	190-011110 Z 292-2-402
17	- SKALAD and	Eber Halp
18		-0000000

ग्राम पंचायतः - जोशी गोधान

5 multi राहार्यक अभियन्ता अस्थाई म्इण्ड, लो०नि०वि० साहिया (देहरादून)



ह0∕--ग्राम प्रधान (50

प्रारुप-30.4

परियोजना विवरण :– जनपद देष्टरादून के विधान समा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में हमराऊ ललक मोटर मार्ग से ग्राम गोथान तक मोटर मार्ग का र्निमाण हेतु हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (लम्बाई 2.00 किमी0)

Gria 04/09/2020

.को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	A	\cap
1	वारवलामहू चारान	कीर्टात/
2	बीरबल मिट्टे-चेरान उत्तराख्ट् - चोहान	31791212
3	इमाम सिंह चौंहान	Int
4	तिलक दग्स	Tomonaly
5	गूनकुलि ही - चोहान	and an 2
6	सुर्मेश न्वीहान् रोवानी.	Hang ma
7	रावाना .	रामान् रोयानी के
8	सली	र्म्स स्थलना हो त्यम
9	तीता	सला
10	gall.	P2H2
11	D.H.	200
12	र्तभी .	रूपी देवी इग्रियोग
13	अगमा 1.	311211
14	मीमाळा देवी.	2) 41 1
15	भञ्जा देवी	AAULCO
16		
17		
18		
~		

ग्राम पंचायत :- जोशी गोथान

ह0/-ग्राम प्रधान

सत्यापित छायापति राहायक अमियन्ता अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 साहिया (देहरादून)

पंतायती राज ाजगी, देल्दून (

O